

प्रेस नोट दिनांक 19.04.2024

1. दिनांक 18.04.24 को वादी उ०नि० श्री जगन्नाथमणि त्रिपाठी थाना को०अयोध्या अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि 1. परेस कुमार सोलन्की पुत्र अमर सिंह नि० देवी रोड़ थाना कुरला बिहार मुम्बई
2. प्रवीण जगदीश मैसडे पुत्र जगदीश मैसडे नि० न्यू रोड़ कुरला मुम्बई
3. हुकुम सिंह राज सिंह माठी पुत्र राम सिंह माठी नि० रक्षकनगर फेस 02 थाना चन्दन नगर पूणे महाराष्ट्र
4. विनोद पुत्र चन्दूलाल चौहान नि० खराडी सीरेवस्ती थाना खराडी पूणे महाराष्ट्र
5. मनोज भगत पुत्र भगत नि० गौरीशंकर मंदिर कुरला मुम्बई।**सभी गिर०** अभि०गण द्वारा डकैती की योजना बनाते समय पकड़े जाना तथा अभि०गण के कब्जे से 02 देशी तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज व 01 अद्द प्लास, 01 अद्द सब्बल बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 208/24 धारा 399, 402 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2. दिनांक 18.04.24 को वादी उ०नि० श्री विकास थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि दीपू गौड़ उर्फ गबड्डू पुत्र आशाराम नि० काजीपुर बिसवा थाना महाराजगंज अयोध्या।**गिर०** अभि० के कब्जे से 01 देशी तमन्चा .12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 88/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

3. दिनांक 18.04.24 को वादी उ०नि० श्री मनोज कुमार प्रजापति थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि इन्द्रदेव पुत्र स्व० बाबूराम नि० दतौली थाना महाराजगंज अयोध्या।**गिर०** अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 90/24 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. दिनांक 18.04.24 को वादी उ०नि० श्री अविनाश प्रताप सिंह थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अंकुश कुमार पुत्र शिवदास नि० रघुनाथपुर थाना महाराजगंज अयोध्या।**गिर०** अभि० के कब्जे से 01 देशी तमन्चा 12 बोर मय 01 अद्द जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 163/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

5. दिनांक 18.04.24 को वादी उ०नि० श्री बृजेश कुमार यादव थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शिव कुमार पुत्र शीतला प्रसाद नि० कुचेरा थाना इनायतनगर अयोध्या।**गिर०** अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 174/24 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

6. दिनांक 18.04.24 को वादी उ०नि० श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० देवशरण सिंह नि० अजरौली थाना खण्डासा अयोध्या।**गिर०** अभि० के कब्जे से 01 देशी तमन्चा 315 बोर मय 03 अद्द जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 96/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

7. दिनांक 18.04.24 को वादी उ०नि० श्री शंकरलाल थाना को०रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामकेवल पुत्र रामअचल वर्मा नि० रसूलपुर थाना को०रुदौली अयोध्या।**गिर०** अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 183/24 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

8. दिनांक 18.04.24 को वादी उ०नि० श्री अश्वनी प्रताप सिंह थाना को०रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामतेज पुत्र रामसजीवन नि० जुनैदपुर थाना मवई अयोध्या।**गिर०** अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 184/24 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

